अध्याय – 4
विद्युत शुल्क

अध्याय–4
विद्युत शुल्क

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2015–16 के दौरान विद्युत शुल्क से संबंधित 24 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और 5,09,704 प्रकरणों में राशि ₹ 686.02 करोड़ के विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर की अप्राप्ति/कम प्राप्ति तथा अन्य अनियमितताएं होना पाया जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1

लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. स.	श्रेणियां	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण**	**1**	**67,902..44**
2.	विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण में कमी के कारण हानि	5,09,323	675.68
3.	नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति का अनारोपण	209	4.06
4.	उपकर का कम आरोपण तथा विद्युत शुल्क के विलंब से जमा पर, देय ब्याज़	3	15.52
5.	विद्युत शुल्क के बकाया राजस्व शेष	20	1.28
6.	अन्य प्रेक्षण	148	3.21
	कुल	**5,09,704**	**68,601.75**

चार्ट 4.1: लेखापरीक्षा परिणाम

सभी लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग को भेज दिए गये थे तथा विभाग ने 41,552 प्रकरणों में ₹ 1.11 करोड़ के राजस्व की अप्राप्ति/कम प्राप्ति तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जो वर्ष 2015–16 में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये थे। वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा 23 प्रकरणों में ₹ 97,000 की राशि वसूल की गई।

''विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण'' पर लेखापरीक्षा जिसमें राशि ₹ 679.02 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्ष अंतर्निहित है, की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई हैं:

4.2 विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण

4.2.1 परिचय

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार, विद्युत के उपयोग तथा आपूर्ति आदि से संबंधित कानून को नियंत्रित करता है। मध्यप्रदेश शासन ने विद्युत आपूर्ति/उपभोक्ताओं को विक्रय पर कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण हेतु मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 और उसके अन्तर्गत नियमों को निर्मित किया है। विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक/वितरण अनुज्ञप्तिधारी[1] (वि.वि.कं)/फ्रेंचाइजी, प्रत्येक उत्पादक कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र और विद्युत ऊर्जा के उत्पादक पूर्ववर्ती माह के दौरान उपभोक्ता को विक्रय या आपूर्ति की गई या उसके द्वारा स्वयं निजी उद्देश्यों हेतु उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की इकाईयों पर निर्धारित समय पर तथा निर्धारित तरीके से निर्दिष्ट दर पर परिकलित शुल्क का भुगतान प्रत्येक माह राज्य शासन को करेगा। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949 के अन्तर्गत प्रत्येक उत्पादक तथा विद्युत ऊर्जा का वितरक प्रत्येक माह के विद्युत शुल्क का भुगतान आगामी माह की समाप्ति से पहले शासकीय कोषालय में करेगा तथा कोषालय रसीद के साथ प्रपत्र 'जी' में एक मासिक विवरणी ऐसे भुगतान के 15 दिवस के भीतर विद्युत निरीक्षकों को प्रेषित करेगा। देय तथा भुगतान के लिए शेष शुल्क की राशि पर ऐसी दर से ब्याज लगाया जायेगा जैसे की उस परिस्थितियों में निर्धारित किये जायें तथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 तथा उसके संशोधन के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के विक्रय या खपत पर ऊर्जा विकास उपकरभी आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (2003 में संशोधित) तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956

[1] मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंम्पनी, भोपाल, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंम्पनी, इन्दौर, पुर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कंम्पनी, जबलपुर

के अन्तर्गत विद्युत संस्थापना के निरीक्षण हेतु फीस आरोपित तथा संग्रहित की जाती है। विभाग के प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0043–"विद्युत पर कर तथा शुल्क" के अंतर्गत की जाती है।

4.2.2 संगठनात्मक संरचना

कार्यालय मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक के प्रमुख मुख्य विद्युत निरीक्षक हैं जबकि ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण कार्य हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिए चार उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, संभागीय स्तर पर चौदह संभागीय विद्युत निरीक्षक, तथा उप संभागीय स्तर पर 51 सहायक विद्युत निरीक्षक होते हैं। वे विद्युत के केप्टिव उत्पादक तथा अन्य उपभोक्ताओं के संबंध में शुल्क, उपकर तथा निरीक्षण फीस के आरोपण तथा संग्रहण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

चार्ट 4.2
संगठनात्मक संरचना तथा कर्त्तव्य एवं कार्य

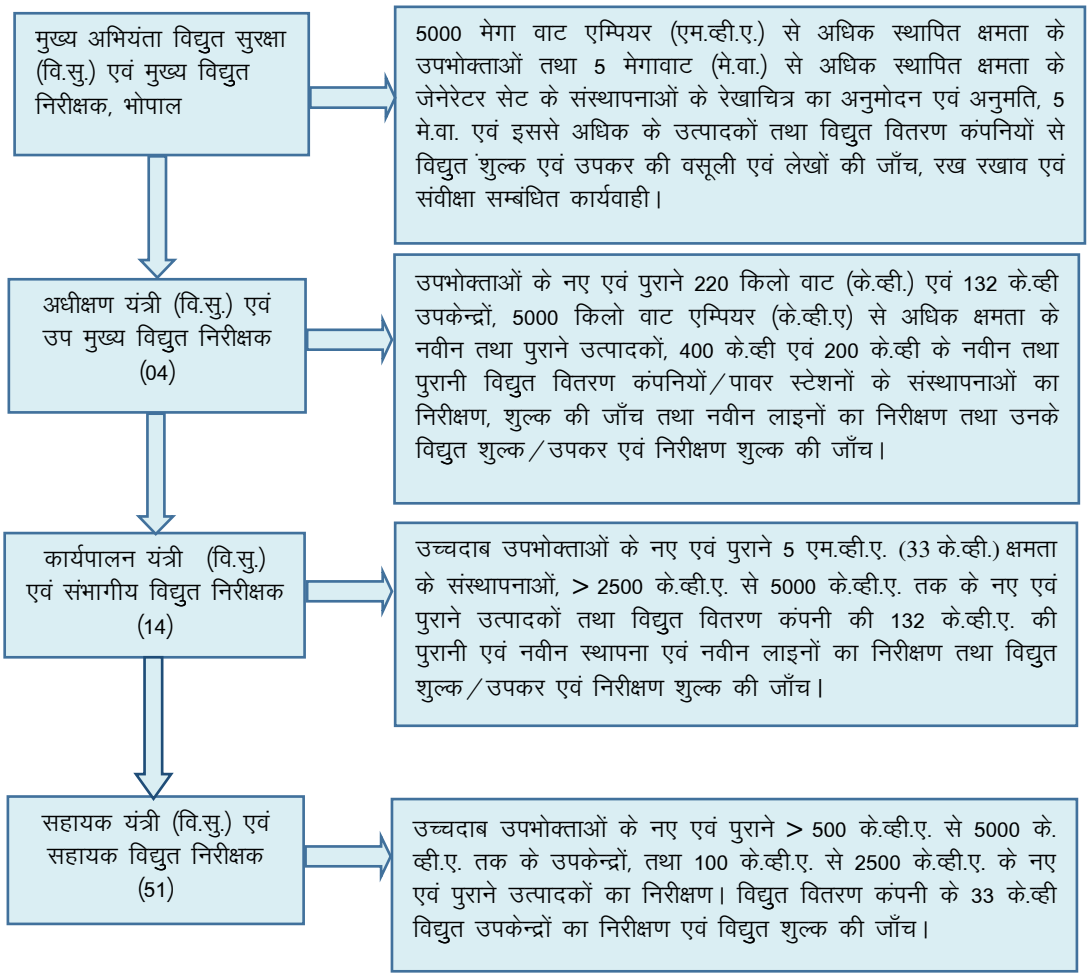

4.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा इस दृष्टि से निष्पादित की गई कि–

- विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकर के आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली की दक्षता तथा प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना,

- यह सुनिश्चित करना कि क्या विद्युत संस्थापनाओं का संविधिक निरीक्षण किया जा रहा था तथा ऐसे निरीक्षण हेतु फीस की वसूली समय पर की जा रही थी तथा
- क्या प्रदाय की गई छूट, यदि कोई हो तो, भारतीय विद्युत अधिनियम, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम तथा समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुरूप थी।

4.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित अधिनियम, नियमों, परिपत्रों तथा जारी किये गए अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत विनियमित किये गये:

- भारतीय विद्युत अधिनियम 1910[2] (2003 में निरसन);
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बंधित उपाय)विनियम 2010;
- भारतीय विद्युत नियम, 1956;
- मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949;
- मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949;
- मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012;
- मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981; तथा
- शासन एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गए विभिन्न अधिनियम तथा परिपत्र।

4.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा प्रणाली

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकरका आरोपण तथा संग्रहण की प्रणाली की प्रभावशीलता, दक्षता तथा कार्यविधि के मूल्यांकन हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक, उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, संभागीय विद्युत निरीक्षक तथा सहायक विद्युत निरीक्षक के वर्ष 2011–12 और 2015–16 के मध्य की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गई तथा यह भी जाँचा गया कि क्या इस विषय पर नियंत्रक एवं महालेखारीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ''राजस्व प्राप्तियाँ'' वर्ष 2009–10 में समीक्षा में दी गईं सिफारिशों को लागू किया गया था।

अक्टूबर 2015 से जून 2016 के मध्य 70 इकाईयों में से 17 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें एक मुख्य विद्युत निरीक्षक, चार उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, सात संभागीय विद्युत निरीक्षक, तथा पाँच सहायक विद्युत निरीक्षक शामिल थे। मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा उप मुख्य विद्युत निरीक्षक का चयन शत् प्रतिशत् किया गया था जबकि संभागीय विद्युत निरीक्षक तथा सहायक विद्युत निरीक्षक इकाईयों का चयन साधारण यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर किया गया था।

वर्ष 2009–10 में आयोजित समीक्षा पर लोक लेखा समिति की सिफारिशें 22 जुलाई 2015 को विधान सभा में प्रस्तुत की गईं थीं यद्यपि, उसपर कार्यवाही प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर–2016)।

[2] विद्युत अधिनियम 2003 से भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 को निरसन किया गया है तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपायों) विनियम 2010 से बदला गया है। तथापि यह अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम जैसे विद्युत अधिनियम 2003 में प्रावधानित है कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 37 के तहत भारतीय विद्युत नियम 1956 के रूप में इसे खड़ा करने से पहले ऐसे निरसन तब तक लागू रहेंगें जब तक इस अधिनियम की धारा 53 के तहत विनियम बना लिया गया हो।

4.2.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग के सहयोग का आभारी है। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए 17 फरवरी 2016 को विभाग के प्रमुख सचिव तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2016 में राज्य शासन को भेजे गये थे।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर दिनांक 3 सितम्बर 2016 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में विभाग के प्रमुख सचिव के साथ चर्चा की गई। शासन/विभाग के विचारों को कंडिकाओं में विधिवत शामिल किया गया है।

4.2.7 राजस्व की प्रवृत्ति

बजट मैन्यूअल के अध्याय 3 ब (1) में प्रावधान है कि अनुमानों में केवल ऐसी प्राप्तियों को शामिल करना चाहिये जिन्हें अनुमानकर्ता अधिकारी बजट वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल किए जाने की उम्मीद करता है। बजट मैन्यूअल में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि परिशुद्धता के परीक्षण का समाधान किया जाना है तो न केवल पूर्वानुमानित सभी मदों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए बल्कि यह भी कि केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं।

31 मार्च 2016 को समाप्त विगत पाँच वर्षो के दौरान विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकर की प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:–

तालिका 4.2
राजस्व की प्रवृत्ति (पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित अनुमान (पु.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ (वित्त लेखे के अनुसार)				पुनरीक्षित अनुमानों पर अधिकता/कमी का प्रतिशत	राज्य का कुल राजस्व कर	वास्तविक प्राप्तियों का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत
		विद्युत शुल्क	ऊर्जा विकास उपकर	निरीक्षण फीस	कुल			
2011–12	1700.00	1297.25	230.95	245.12	1773.32	(+) 4.31	26973.44	6.57
2012–13	1370.00	1249.71	148.73	79.27	1477.71	(+) 7.86	30581.70	4.83
2013–14	1700.00	1537.11	304.63	130.46	1972.20	(+) 16.01	32552.16	5.88
2014–15	2050.00	1565.36	193.17	251.67	2010.20	(–) 1.94	36567.31	5.49
2015–16	2200.00	1769.50	313.13	175.20	2257.83	(+) 2.63	40240.43	5.61

(स्त्रोतः– म.प्र.शासन के वित्त लेखे अवधि वर्ष 2011–12 से 2015–16)

चार्ट–4.3

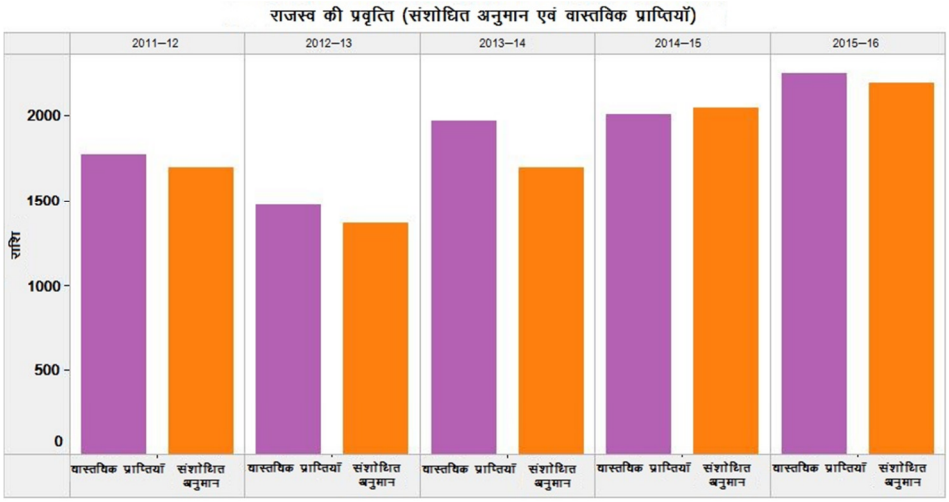

तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 को छोड़कर सभी वर्षों में वास्तविक प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में अधिक थे, वर्ष 2012–13 में पुनरीक्षित अनुमान में अत्याधिक कमी हुई थी जो वर्ष 2011–12 के ₹ 1,700 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,370 करोड़ थी। पुनरीक्षित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (–) 1.94 प्रतिशत से (+) 16.01 प्रतिशत तक था।

पुनरीक्षित अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अंतर के बारे में विभाग ने उत्तर में बताया (मार्च 2016) कि वर्ष 2011–12 में विद्युत वितरण कंपनियों से प्राप्त बकाया शेष के कारण वास्तविक प्राप्ति, पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 73.32 करोड़ अधिक प्राप्त हुई थी। इसी तरह बकाया राजस्व तथा ब्याज प्राप्ति के कारण वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 107.71 करोड़ तथा ₹ 272.20 करोड़ अधिक हुई थी। 2014–15 में ग्रिड से जोड़ने हेतु नये संयोजन पर (मार्च 2014) तथा जनवरी 2013 में केप्टिव पावर उत्पादक से ऊर्जा विकास उपकर को खत्म किए जाने से संबधित जारी अधिसूचना के कारण वास्तविक प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमान की अपेक्षा ₹ 39.80 करोड़ कम प्राप्त हुई थी। इसके अलावा वर्ष 2012–13 में मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012[3], जो 25 अप्रैल 2012 से लागू था के कारण पुनरीक्षित अनुमान पिछले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 1,700 करोड़ से कम कर ₹ 1,370 करोड़ कर दिये गए थे।

चार्ट–4.4

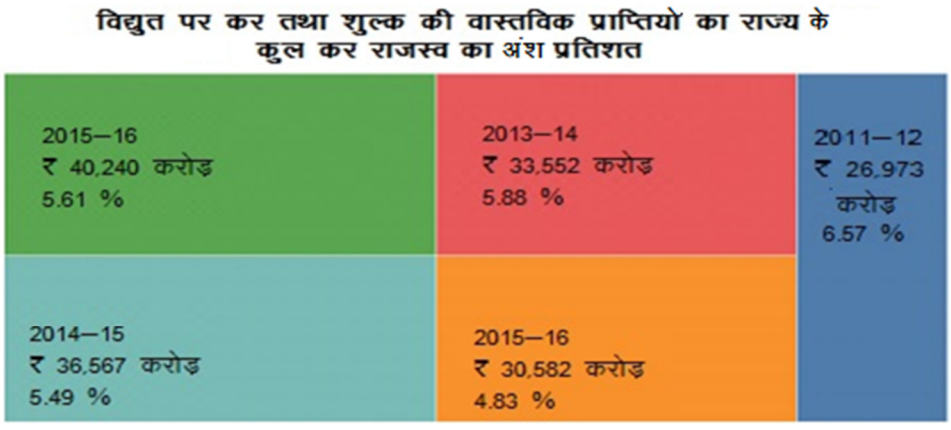

[3] म.प्र.वि.श.अ., 2012 के अनुसार ऐसी उत्पादन द्वारा जिसमें मध्यप्रदेश शासन में कम से कम इक्यावन प्रतिशत का इक्विटि हो, बेची गई /प्रदाय की गई या उपभुक्त विद्युत के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा।

वर्ष 2011–12 तथा 2015–16 के बीच विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकर की वास्तविक प्राप्तियाँ, राज्य के कुल कर राजस्व का 4.83 प्रतिशत से 6.57 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2012–13, 2014–15 तथा 2015–16 में इस प्रतिशत में अधिक गिरावट आई जो क्रमशः 4.83 प्रतिशत, 5.49 प्रतिशत तथा 5.61 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2011–12 में यह राज्य के कुल कर राजस्व का 6.57 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.2.8 बकाया की स्थिति

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 5 तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 7 के अनुसार देय तथा भुगतान के लिए शेष शुल्क की राशि पर ब्याज देय होगा तथा इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। 31 मार्च 2016 को समाप्त विगत पांच वर्षों की अवधि के विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकर सहित बकाया राजस्व की स्थिति नीचे दी गई है:–

तालिका 4.3
बकाया राजस्व की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	वर्ष के अंत में शेष	पाँच वर्षो से अधिक बकाया राशि
2011–12	70.67	8.64	79.31	11.83	67.49	14.69
2012–13	67.49	123.37	190.86	5.73	185.13	15.11
2013–14	185.13	4.94	190.07	13.09	176.98	15.15
2014–15	176.98	13.10	190.08	33.12	156.96	24.20
2015–16	156.96	4.88	161.8	3.89	157.95	26.76

(स्त्रोतः–विभाग से प्राप्त जानकारी)

चार्ट–4.5

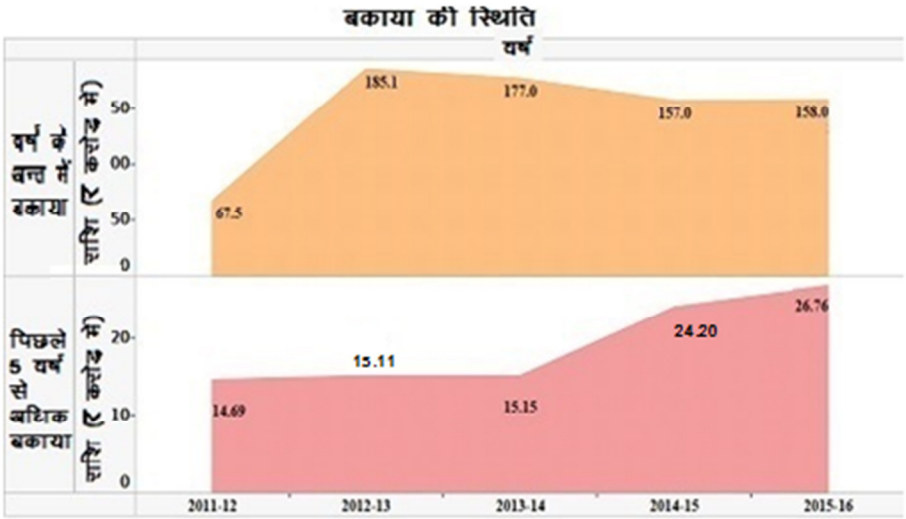

हमने अवलोकित किया कि वर्ष के दौरान कुल बकाया शेष की तुलना में वर्ष के दौरान वसूली में विगत पांच वर्षों के दौरान 2.40 प्रतिशत तथा 17.42 प्रतिशत के मध्य भिन्नता देखी गई। 31 मार्च 2016 को राशि ₹ 157.95 करोड़ बकाया के रूप में शेष थी, जिसमें से राशि ₹ 26.76 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, बकाया की स्थिति बिगड़ी है जो वर्ष 2011–12 में ₹ 67.49 करोड से बढ़कर 2015–16 में ₹ 157.95 करोड़ हो गई। इसी प्रकार पांच वर्ष से अधिक बकाया वर्ष 2011–12 में ₹ 14.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 26.76 करोड़ हो गये थे। बकाया शेष के मामलों में प्रमुख बकायादारों के विश्लेषण से पता चला कि पांच बड़े बकायादार मेसर्स जे.पी.रीवा (₹ 71.28 करोड़), मेसर्स जे.पी. बेला (₹ 35.15 करोड़), मेसर्स हॉटलाईन सी.पी.टी.मालनपुर (₹ 7.61 करोड़), मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट (₹ 1.50 करोड़) तथा मेसर्स रेमण्ड लिमिटेड, सौंसर (₹ 1.47 करोड़) थे।

शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि बकाया राजस्व ₹ 157.94 करोड़ में से विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकर के राशि ₹ 126.95 करोड़ की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं, न्यायालयीन प्रकरणों में बकाया राशि ₹ 9.64 करोड़ थी, ₹ 3.67 करोड़ का बकाया बीमार कपड़ा मिलों से था, ₹ 27.91 लाख का बकाया राज्य सरकार के पास विचाराधीन थे, तथा ₹ 17.41 करोड़ का बकाया अन्य से देय था। आगे यह भी बताया गया कि विभाग देयताओं की वसूली हेतु उपभोक्ताओं को, समय–समय पर सूचना भेजता है जबकि न्यायालयीन मामलों में वसूली लम्बे समय से लंबित है। जिन प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, यह बताया गया कि संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा सहयोग में कमी के कारण कोई प्रभावी वसूली नहीं हुई थी। ऐसे सभी मामलों में जहाँ एक करोड़ से अधिक के राजस्व बकाया है, विभाग ऐसे उपभोक्ताओं की एक सूची तैयार कर इसे शासन को भेजता है एवं शासन इन सभी प्रकरणों को संबंधित जिला कलेक्टरों को अग्रेषित करता है।

4.2.9 ऊर्जा विकास उपकर को विद्युत विकास निधि में या तो जमा नहीं किया या विलंब से जमा किया तथा इसे निहित प्रयोजनों से अन्य हेतु उपयोग किया गया

ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 325.17 करोड़ का उपयोग उन प्रयोजनों में नहीं किया गया था जिसके लिये उपकर आरोपित किया था तथा विभाग ने भी ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 88.22 करोड़ समय से विद्युत विकास निधि में स्थानांतरित नहीं की।

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार ऊर्जा विकास उपकर को प्रथमतः राज्य के समेकित निधि में जमा करना चाहिए तथा राज्य शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंम्भ में पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा प्राप्त किये गये उपकर की राशि को एक अलग निधि में जमा करे जो विद्युत विकास निधि कहलायेगा और इस तरह उक्त निधि में किया गया जमा, राज्य की संचित निधि पर भारित होगा।

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम की धारा 3(3) प्रावधानित करता है कि निधि में जमा राशि का उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में विकास तथा अनुसंधान, उत्पादन की दक्षता में सुधार, प्रेषण, वितरण तथा पारेषण में घाटे की कमी सहित ऊर्जा का उपयोग, डिज़ाईन, निर्माण, संधारण, संचालन में अनुसंधान, ऊर्जा स्त्रोतों के सर्वेक्षण सहित गैर–परंपरागत स्त्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की कमी को दूर करने तथा अन्य कार्यों के लिए किया जायेगा। ऊर्जा विकास उपकर का संग्रहण तथा उसका विद्युत विकास निधि में जमा का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :–

तालिका 4.4
ऊर्जा विकास उपकर का संग्रहण तथा विद्युत विकास निधि में जमा का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर की वास्तविक प्राप्तियाँ	आगामी वित्त वर्ष में विद्युत विकास निधि में जमा की गई राशि	ऊर्जा विकास उपकर का विद्युत विकास निधि में अधिक (+)/कम (–)	विद्युत विकास निधि का संवितरण
2010–11	349.15			
2011–12	230.95	305.00	(–) 44.15	33.45
2012–13	148.73	275.00	(+) 44.05	291.72
2013–14	304.62	....	(–) 148.73	153.34
2014–15	193.17	68.20	(–) 236.42	.....
2015–16		490.20	(+) 297.03	108.15
कुल	**1226.62**	**1138.40**	(–) **88.22**	**586.66**

(श्रोत :–मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010–11 तथा 2014–15 की अवधि के दौरान राज्य की समेकित निधि में ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 1,226.62 करोड़ जमा की गई। जिसमें से वर्ष 2011–12 तथा 2015–16 के अवधि में विद्युत विकास निधि में ₹ 1,138.40 करोड़ जमा किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के स्थान पर 31 मार्च 2016 को जमा राशि ₹ 490.20 करोड़ शामिल थी। इस प्रकार राशि ₹ 88.22 करोड़ विद्युत विकास निधि के बाहर रही जो कि मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।

आगे, यह भी पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान ऊर्जा विकास उपकर में स्थानांतरित राशि ₹ 1,138.40 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 586.66 करोड़ वितरित की गई थी तथा ₹ 551.74 करोड़ वितरण हेतु शेष था। इसमें से राशि ₹ 325.17 करोड़ मुख्य शीर्ष 4801–05–190 (विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय)[4] को वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से स्थानांतरित किया गया था जो कि विद्युत के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, उत्पादन की दक्षता में सुधार, उत्पादन, वितरण तथा पारेषण में हानि को कम करने सहित ऊर्जा के उपयोग आदि में उपयोग किया जाना था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न तो ऊर्जा विकास उपकर की राशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विद्युत विकास निधि में नियमित रूप स जमा किया गया था और न ही ऊर्जा विकास उपकर का संग्रहण जिस प्रयोजन के लिए किया गया था उसके लिए विद्युत विकास निधि का संवितरण किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि विद्युत विकास निधि का उपयोग मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रयोजनों के लिये किया गया है। भविष्य में ऊर्जा विकास उपकर को विद्युत विकास निधि में निर्धारित अवधि में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

[4] मुख्य शीर्ष 4801–विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय, 05–पारेषण तथा वितरण, 190–सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्युत विकास निधि का निहित प्रयोजनों में उपयोग मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1981 की धारा 3(3) में वर्णित था न कि धारा 4 में तथा विद्युत विकास निधि की राशि का वितरण मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 3(3) में वर्णित निहित प्रयोजनों के स्थान पर पूंजीगत व्यय पर किया गया था।

शासन को ऊर्जा विकास उपकर के विद्युत विकास निधि में समय पर स्थानांतरण तथा ऊर्जा विकास उपकर का समय पर तथा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु तंत्र की स्थापना करना चाहिए।

4.2.10 विद्युत वितरण कंम्पनियों पर बकाया शेष पर ब्याज का अनारोपण

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 6,018.79 करोड़ का संग्रहण किया गया था किन्तु राज्य शासन द्वारा केवल राशि ₹ 5,993.52 करोड़ ही ऋण के रूप में विद्युत वितरण कंपनी को स्थानांतरित/समायोजित किये गये थे। विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर की राशि एक महीने से लेकर ग्यारह महीने विलंब से सतत् ऋण के रूप में स्थानांतरित/समायोजित किया गया था। इस प्रकार विद्युत वितरण कंपनी विलंब की अवधि के लिये ब्याज़ मार्च 2016 तक ₹ 272.11 करोड़ के भुगतान के लिये उत्तरदायी थी।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 3 के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक तथा प्रत्येक उत्पादक प्रत्येक माह के लिए विद्युत शुल्क अगले महीने की समाप्ति से पहले शासकीय कोषालय में शीर्ष "0043–विद्युत पर कर तथा शुल्क, विद्युत की खपत तथा बिक्री पर कर" में जमा करेगा तथा कोषालय की रसीद को जमा करने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर विद्युत निरीक्षकों को प्रेषित करेगा। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 5 के अन्तर्गत, जहाँ शुल्क, नियम 3 के में निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसपर समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित दर[5] पर ब्याज लगेगा, जो कि अधिकतम 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक होगा। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 7 के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक एवं प्रत्येक उत्पादक विद्युत निरीक्षक को मासिक विवरणी प्रपत्र 'जी' में तथा वार्षिक विवरणी प्रपत्र 'के' में प्रस्तुत करेगा।

हमने मुख्य विद्युत निरीक्षक के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया कि विद्युत वितरण कंपनीद्वारा वार्षिक विवरणी प्रपत्र 'के'प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था तथा मासिक विवरणी प्रपत्र 'जी', निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान विद्युत वितरण कंम्पनियों द्वारा विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 6,018.79 करोड़[6] का संग्रहण किया गया था लेकिन राज्य शासन द्वारा ऋण के रूप में राशि ₹ 5,993.52 करोड़[7] विद्युत वितरण कंपनी को स्थानांतरित/समायोजित की गई थी। शेष राशि ₹ 25.27 करोड़ विद्युत वितरण कंपनी के पास थी, जिसे शासन द्वारा सतत् ऋण में परिवर्तित नहीं किया गया था। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संग्रहित विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर की राशि को एक माह से ग्यारह माह के विलम्ब से सतत् ऋण के रूप में स्थानांतरित/समायोजित किया गया था। परिणामतः मार्च 2016 तक विद्युत वितरण कंपनी राशि ₹ 272.11 करोड़

---

5 अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1975 के अनुसार ब्याज की दर 3 महीने तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष, 3 महीने से अधिक 6 महीने तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष, 6 महीने से अधिक 12 महीने तक 20 प्रतिशत प्रति वर्ष, 12 महीन से अधिक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

6 वि.शु. की राशि ₹ 5901.26 करोड़ तथा ऊ.वि.उ. की राशि ₹ 117.53 करोड़

7 वि.शु. की राशि ₹ 5876.56 करोड़ तथाऊ.वि.उ. की राशि ₹ 116.96 करोड़

के ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी थी, जिसकी गणना शुल्क के भुगतान की अवधि तथा देय राशि के सतत् ऋण में परिवर्तित करने के बीच की अवधि के लिये की गई।

आगे यह भी देखा गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत शुल्क की राशि ₹ 878.37 करोड़ तथा ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 105.56 करोड़ संग्रहित की गई थी किंतु विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत शुल्क की राशि ₹ 883.32 करोड़ तथा ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 105.38 करोड़ सतत् ऋण के रूप में स्थानांतरित/समायोजित की गई थी। परिणामतः विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संग्रहित विद्युत शुल्क से अधिक राशि ₹ 4.94 करोड़ सतत् ऋण के रूप में स्थानांतरित/समायोजित की गई थी जबकि ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 18.02 लाख विद्युत वितरण कंपनी ने अपने पास रोक ली थी। जो कि सतत् ऋण के रूप में असमायोजित शेष रही।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि कैबिनेट नोट के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संग्रहित विद्युत शुल्क/ऊर्जा विकास उपकर की राशि को मासिक आधार पर सतत् ऋण में परिवर्तित किया जाता है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संग्रहित विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर को सतत् ऋण में परिवर्तन विलंब से किया गया तथा कैबिनेट नोट के कार्यान्वयन के लिये अधिसूचना जारी कर संबंधित अधिनियिम/नियम संशोधित नहीं किये गये थे।

शासन द्वारा एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए जिसके द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध देय विद्युत शुल्क या तो तुरन्त सतत् ऋण में परिवर्तित कर दिया जाए या विद्युत शुल्क के भुगतान के विलम्ब के मामले में शासन द्वारा ब्याज आरोपित किया जाना चाहिए।

4.2.11 छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना विद्युत शुल्क का भुगतान न किया जाना

ओरियंट पेपर मिल्स, अमलाई द्वारा 30 मेगावॉट तथा 25 मेगावॉट के दो थर्मल जनरेटर (टी.जी.) केप्टिव विद्युत संयत्र स्थापित किये गयें तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लिए औपचारिक आवेदन किये बिना तथा छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होना मान लिया। परिणामस्वरूप ₹ 51.79 करोड़ का विद्युत शुल्क ब्याज की राशि सहित प्राप्त नहीं हो सका।

Orient Paper Mills, Amlai (Shahdol)

अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2006 के अनुसार, राज्य शासन द्वारा परियोजनाओं (मेगा प्रोजेक्ट) में स्थायी पूंजी ₹ 25 करोड़ से अधिक तथा ₹ 100 करोड़ तक, ₹ 100 करोड़ से अधिक तथा ₹ 500 करोड़ तक तथा ₹ 500 करोड़ से अधिक निवेश करने पर निश्चित शर्तों के अधीन केप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर क्रमशः पाँच वर्ष, सात वर्ष तथा दस वर्ष तक विद्युतशुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

अधिसूचना दिनांक 19 अगस्त 2008 के अनुसार दिनांक 02 मई 2005 को निवेश संवर्धन अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर उक्त अधिसूचना को दिनांक 02 मई 2005 (भूतलक्षी प्रभाव से) प्रभावी किया गया।

हमने कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल में अवलोकित किया कि ओरियंट पेपर मिल्स, अमलाई ने ₹ 161.16 करोड़ के निवेश से 25 मेगावाट व 30 मेगावाट के दो टी. जी. सेट केप्टिव विद्युतसंयंत्र स्थापित किये थे। दिनांक 25 जुलाई 2012 को मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल द्वारा उक्त संयंत्र को चलाने हेतु अस्थाई अनुमति प्रदान की थी और 25 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र तथा 30 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र द्वारा क्रमशः माह सितम्बर 2012 तथा माह अक्टूबर 2012 से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। ओरियन्ट पेपर मिल्स द्वारा विद्युत शुल्क से छूट हेतु औपचारिक आवेदन किये बिना तथा विद्युत निरीक्षक से विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना विद्युत शुल्क के भुगतान से स्वतः छूट प्राप्त होना मान लिया तथा विद्युत शुल्क का कोई भुगतान नहीं किया। यह दिनांक 12 जुलाई 2006 की अधिसूचना की शर्तों के प्रतिकूल था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.79 करोड़ (मार्च 2016 तक ₹ 15.75 करोड ब्याज सहित) विद्युत शुल्क की हानि हुई। आगे हमने अवलोकित किया कि दोनों ताप विद्युत संयंत्रों का प्रपत्र 'जी' केवल दिसम्बर 2012 तक प्रेषित किया गया। विभाग, कम्पनी द्वारा प्रपत्र "जी" प्रस्तुत न करने को संज्ञान में लेने में विफल रहा तथा विद्युत शुल्क भुगतान न करने पर कम्पनी के विरूद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विद्युत शुल्क की गणना दानों ताप विद्युत संयंत्रों से क्रमशः चार तथा तीन माह में विद्युत के औसत उत्पादन तथा खपत के आधार पर सितम्बर 2012 से जनवरी 2016 तक की गई है।

शासन ने बताया (सितम्बर 2016) की ओरियेन्ट पेपर मिल्स ने न तो मासिक विवरणी प्रपत्र 'जी' प्रस्तुत किये और न ही यूनिट के खपत पर विद्युत शुल्क जमा किया था। उपभोक्ता ने परीक्षण अवधि के लिए विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट मान लिया था। नियम के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

4.2.12 विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत हेतु अलग–अलग मीटर स्थापित करने में विफल होने से राजस्व की हानि

चौबीस उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित नहीं गये थे परिणामतः राशि ₹ 16.00 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 10 के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक एवं प्रत्येक उत्पादक प्रत्येक श्रेणी जिसके लिए लागू शुल्क की दरें अलग–अलग हैं, पृथक रूप से एक मीटर स्थापित करेगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा (3) में संशोधन द्वारा प्रावधानित किया गया कि यदि विद्युत के वितरक या उत्पादक की सहमति के बिना किसी भी प्रयोजन की खपत किसी अन्य उद्देश्य की खपत हेतु जिसके लिए शुल्क की उच्चतर दर प्रभारणीय है, पूर्ण या आंशिक रूप से उपभोग की जाती है तो विक्रय या आपूर्ति की गई सम्पूर्ण ऊर्जा पर उच्चतम लागू दर प्रभारित की जाएगी। यदि शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य दोनों प्रकार की विद्युत ऊर्जा की खपत एक मीटर द्वारा अभिलेखित की जाती है तो विभिन्न श्रेणियों की शुल्क आरोपण योग्य ऊर्जा की खपत का निर्धारण विद्युत निरीक्षक द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा (ऐसे समय तक जबकि प्रत्येक श्रेणी के लिए मीटर स्थापित किया जाता है)। आगे यह विषय पर पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा (2009–10) में भी सम्मिलित किया गया था। जिसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल ने उत्तर में बताया था (अप्रैल 2010) कि शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित करने के लिए वितरण कम्पनियों को लिखित सूचना द्वारा निर्देशित किया गया था। लोक लेखा समिति ने भी अनुशंसा की थी कि :–

(1) शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा के उपभोग के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित किये बिना विद्युत शुल्क के आधार से लोक लेखा समिति को अवगत करायें।

(2) भोपाल एवं हबीबगंज रेलवे स्टेशनों के विरूद्ध लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई वसूली हेतु की गई कार्यवाही से लोक लेखा समिति को अवगत करायें।

(3) विद्युत शुल्क के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के निर्धारण हेतु आवश्यक निर्देश समयबद्ध तरीके से जारी किये जायें।

- हमने 17 उच्चदाब उपभोक्ताओं[8] (16 रेलवे स्टेशनों तथा एक गैरीसन इंजीनियर) के संबंध में अवलोकित किया कि विद्युत के शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित नहीं किये गये थे, यद्यपि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उच्चदाब उपभोक्ताओं को संयुक्त उद्देश्य के लिए 146.44 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा प्रदाय की गई थी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा केवल 69.11 मेगा यूनिट (47. 19 प्रतिशत) विद्युत ऊर्जा पर ही विद्युत शुल्क संग्रह किया था, शेष खपत को शुल्क अयोग्य खपत मानते हुए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई। शुल्क योग्य यूनिट पर, लागू दर से, पिछले पाँच वर्षों में ₹ 6.32 करोड़ शुल्क आरोपणीय थी। यहाँ तक कि शुल्क योग्य खपत के गणना के लिए भी मुख्य विद्युत निरीक्षक के पास कोई आधार नहीं था। हमने आगे अवलोकित किया कि यद्यपि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संभागीय विद्युत निरीक्षक को नियमित रूप से मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत की गईं थीं तथापि वे (संभागीय विद्युत निरीक्षक) एकल मीटर द्वारा अभिलेखित शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य खपत का पुनर्निर्धारण करने में विफल रहे। इस विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 6.32 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण हुआ **(परिशिष्ट–XVIII)**।

  लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि विद्युत वितरण कंपनी को शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य ऊर्जा की खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापना हेतु निर्देश वर्ष 2010 में जारी किये गये थे। लेकिन छह वर्ष व्यतीत होने के बाद भी शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा के खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित नहीं किये गये। 17 उच्चदाब उपभोक्ताओं में से 12 का पुनर्निर्धारण लेखापरीक्षा की आपत्तियों के पश्चात् जनवरी 2016 तथा सितम्बर 2016 के मध्य किया गया। शेष उच्चदाब उपभोक्ताओं का पुनर्निर्धारण सितम्बर 2011 तथा नवम्बर 2014 के मध्य किया गया था। जिन उपभोक्ताओं के निर्धारण किये गए थे उनमें से एक उच्चदाब उपभोक्ता की शुल्क योग्य खपत 47 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी तथा तदनानुसार अप्रैल 2015 एवं इससे आगे के बिल में संशोधन किया गया था।

- हमने अवलोकित किया कि सात उच्चदाब उपभोक्ताओं[9] ने ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित नहीं किये थे, जबकि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा संयुक्त उद्देश्यों के लिए सातों उच्च्दाब उपभोक्ताओं को 181.02 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी। तथापि

---

8 (1)सम्भागीय अधीक्षक,मऊ, (2)संभागीय अधीक्षक, प.रे., इन्दौर, (3)सिनीयर डिवीजनल इलेक्टीकल इंजीनियर पश्चिम म.रे. जबलपुर, (4) सिनीयर डिवीजनल इलेक्टीकल इंजीनियर (जी)म.रे.ए भोपाल (बीना स्टेशनद्ध कार्यालय तथा क्वार्टर,(5) संभागीय इलेक्टीकल इंजीनियर (जी) म.रे.ए भोपाल (बीना स्टेशनद्ध, (6) डी.ई.ई.(जी)म.रे.ए भोपाल (बीना नदी), (7) संभागीय अधीक्षक, म.रे. कटनी, (8) संभागीय अधीक्षक,द.पु.रेलवे,मंडला, (9) संभागीय अधीक्षक प.रे., फर्स्ट पॉइन्ट, रतलाम, (10) संभागीय अधीक्षक प.रे., उज्जैन, (11) संभागीय रेलवे प्रबंधक प.रे., कोटा, शामगढ़, (12) संभागीय रेलवे प्रबंधक प.रे., रतलाम नीमच रेलवे स्टेशन, (13) वरिष्ठ डी.ई.ई. रेलवे स्टेशन, हरदा, (14) संभागीय अधीक्षक (म.रे.) रेलवे स्टेशन, ग्वालियर, (15) संभागीय विद्युत यंत्री (म.रे.) बैट्री चार्जर, ग्वालियर, (16) संभागीय रेलवे प्रबंधक, म.रे. , भोपाल बारातवा एवं (17) गैरीसन इंजीनियर, क्रं–1, मऊ

9 (1)गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस., मऊ, (2) अधीक्षक, एम.वाई. अस्पताल, इन्दौर, (3) गैरीसन इंजीनियर, एम,ई,एस, वेस्ट, जबलपुर, (4) गैरीसन इंजीनियर, एम,ई,एस, वेस्ट, जबलपुर, (5) स्टेशन कमांडेन्ट सी.आर.पी.एफ., नीमच, (6)संयुक्त निदेशक, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर, (7)वरिष्ठ संभागीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (रेलवे स्टेशन) हबीबगंज

इन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत ऊर्जा की केवल 53.25 मेगा यूनिट (29.42 प्रतिशत) पर विद्युत शुल्क प्रत्येक माह एक निश्चित यूनिटों की खपत के आधार पर संग्रहित किया गया था तथा शेष खपत को शुल्क अयोग्य खपत मानते हुए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। शुल्क योग्य यूनिटों पर प्रचलित दर से पिछले पाँच वर्षों में ₹ 9.68 करोड़ के आरोपणीय शुल्क की गणना की गई **(परिशिष्ट–XIX)**। यद्यपि मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा 2010 में वितरण कम्पनियों को शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग–अलग मीटर की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया था, छह वर्ष का समय व्यतीत होने के पश्चात् भी इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा विभाग ने उपरोक्त आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं की।

शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि एक उच्चदाब उपभोक्ता (कमांडेट सी.आर.पी. एफ., नीमच) का पुनर्निर्धारण जनवरी 2016 में किया गया था तथा शुल्क योग्य खपत 0.024 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गई थी। जिसके वसूली के आदेश जारी कर दिये गये थे। रेलवे स्टेशन, हबीबगंज का भी पुनर्निर्धारण अक्टूबर 2014 में किया गया था जिसमें पाया गया कि शुल्क योग्य खपत 20,250 यूनिट प्रति माह से बढ़कर 34,390 यूनिट प्रति माह हो गई थी जिसे जनवरी 2015 में निर्धारित किया गया था। फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऊर्जा के शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य खपत की गणना के लिए स्थल का निरीक्षण करें तथा तदनानुसार विद्युत शुल्क की वसूली करें। विभाग द्वारा रेलवे, गैरीसन इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित करने का फैसला किया है।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि छह वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य/शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित नहीं किये गये थे। पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा 2009–10 में यह विषय उठाया गया था तथा उचित कार्यवाही के लिए लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। फिर भी विभाग द्वारा उपचारी कार्यवाही नहीं की गई तथा ऐसी सतत अनियमितताएं जारी रही जिनमें हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी शामिल था जो पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में भी प्रकट हुई थी।

इस विषय पर पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा पर लोक लेखा समिति में विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के मुद्दों को समयबद्ध तरीके से सुलझाने की अनुशंसा की गई थी तथा विभाग को शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत पर अलग–अलग मीटर स्थापित किए बिना विद्युत शुल्क आरोपित करने का आधार बताने को कहा गया था। हम पुनः अनुशंसा करते हैं कि विभाग विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित करे। शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत के लिए अलग–अलग मीटर के अभाव में जहाँ विद्युत शुल्क कम आरोपित किया गया था ऐसे सभी मामलों में समयबद्ध वसूली होना चाहिए।

4.2.13 विद्युत निरीक्षण में कमी

विभाग विद्युत संस्थापनाओं के वार्षिक निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, जिससे मध्यम तथा उच्चदाब विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा जोखिम में थी। इसके अतिरिक्त निरीक्षण फ़ीस राशि ₹ 11.35 करोड़ भी प्राप्त नहीं हो सकी।

भारतीय विद्युत नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थापना को, संयोजन भार पर आधारित निर्धारित दरों पर अग्रिम फीस के भुगतान पर किसी निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी

द्वारा आवधिक रूप से ऐसे अन्तराल पर जो पाँच वर्ष से अधिक न हो, निरीक्षण तथा परीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा तथा विद्युत दुर्घटना की रोकथाम करना है।

हमने सात संभागीय विद्युत निरीक्षक[10] तथा दो सहायक विद्युत निरीक्षक[11] कार्यालयों में अवलोकित किया कि विभाग द्वारा निरीक्षण किये जाने हेतु अपेक्षित 10.59 लाख उच्चदाब तथा मध्यमदाब विद्युत संस्थापनाओं में से 2011–12 से 2014–15 की अवधि के दौरान केवल 2.59 लाख संस्थापनाओं का निरीक्षण विभाग द्वारा किया गया, शेष 8.00 लाख संस्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया। वर्ष 2011–12 से 2014–15 के बीच विद्युत संस्थापनओं के निरीक्षण में औसत कमी 75.58 प्रतिशत थी।

यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा विद्युत संस्थापनाओं के वार्षिक निरीक्षण का पूर्ण लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं किया गया। विद्युत संस्थापनाओं के, समय पर निरीक्षण में कमी के कारण विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण फीस की राशि ₹ 11.35 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी।

चार्ट 4.6

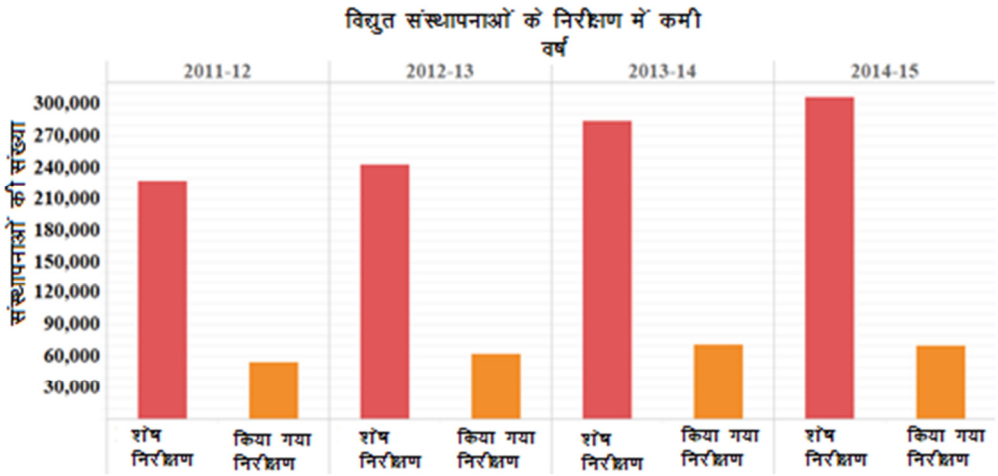

शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि पर्याप्त निरीक्षण स्टॉफ के कमी के कारण विद्युत संस्थापनाओं का शत प्रतिशत निरीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है। तकनीकी स्टॉफ की उपलब्धता के अनुसार संस्थापनाओं के निरीक्षण का लक्ष्य हासिल किया गया है तथा संस्थापनाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि विद्युत दुर्घटनाओं से सुरक्षा हेतु विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण विभाग का एक प्रमुख प्राथमिक कार्य है; प्रावधानों के अनुसार विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न कर उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया।

शासन को विद्युत संस्थापनाओं का आवधिक निरीक्षण करने संबंधी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इन विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

[10] कार्यपालनयंत्री (वि. सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, गुना, होशंगाबाद, छिन्दबाडा, सागर, ग्वालियर, शहडोल तथा रतलाम
[11] सहायक यंत्री (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, भोपाल 02 एवं इन्दौर 02

4.2.14 उच्चदाब उपभोक्ताओं से शुल्क की कम प्राप्ति

आठ उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा 18.04 मेगायूनिट (एम.यू.) विद्युत ऊर्जा की खपत की गई थी तथा उनके व्यवसाय के गलत वर्गीकरण के कारण विद्युत शुल्क का भुगतान, 15 प्रतिशत की टैरिफ दर के स्थान पर नौ प्रतिशत की दर पर किया गया था। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप से विद्युत शुल्क तथा उस पर ब्याज की राशि ₹ 1.43 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम (संशोधित), 2011 (10 अगस्त 2011 से प्रभावी) की धारा 3 तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3(1)(ए) के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक/वितरण अनुज्ञप्तिधारी/फ्रेन्चायजी, उपभोक्ताओं को पिछले महीने बेची गई या प्रदाय की गई या उसके द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए खपत की गई विद्युत ऊर्जा की यूनिटों पर विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किये गये शुल्क को विहित समय पर तथा विहित रीति से राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेगा। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम (संशोधित), 2011 के धारा 3 के भाग–ब तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के भाग–क के अनुसार उच्चदाब[12] औद्योगिक संयोजन के लिए प्रतिमाह शुल्क की दर विद्युत के प्रति यूनिट टैरिफ का 15 प्रतिशत होगी। इसके अलावा विद्युत शुल्क की अदेय राशि पर राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित ब्याज[13] की दर आरोपित होगी जो कि अधिकतम 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

हमने 6,316 उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं में से 4,480 उच्चदाब उपभोक्ताओं की नमूना जाँच के दौरान अवलोकित किया कि आठ उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा 18.04 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की गई तथा शुल्क का भुगतान 15 प्रतिशत की टैरिफ दर के स्थान पर नौ प्रतिशत की दर पर किया गया। इन आठ उपभोक्ताओं में से चार उपभोक्ता, प्लास्टिक पैकिंग सामग्री जैसे लचीला मध्यवर्ती बल्क कंटेनर, प्लास्टिक उत्पाद, (पी.पी.) उच्च घनत्व पोलीथीलिन से बुनी बोरियाँ तथा पी.पी. एवं एच.डी.पी.ई. (HDPE) से बुने कपड़े के उत्पादन में शामिल थे फिर भी इन्हें कपड़ा मिलों, बुनाई मिलों तथा कताई मिलों में वर्गीकृत किया गया था। शेष तीन उच्चदाब उपभोक्ता खाद्य सामग्री के उत्पादन में शामिल थे जिन्हें आटा मिलों की तरह माना गया था। एक उच्चदाब उपभोक्ता मेसर्स रूचि सोया उद्योग, गुना जो बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का उत्पादन तथा शोधन करने में शामिल था, को आईल एक्सपेलर माना गया। परिणामतः उद्योग/व्यापार के गलत वर्गीकरण के कारण विद्युत शुल्क तथा उस पर देय ब्याज की राशि ₹ 1.43 करोड़ की कम प्राप्ति हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 4.5
उच्चदाब उपभोक्ताओं से शुल्क की कम प्राप्ति

(₹ लाख में)

क्र. स.	उपभोक्ता का नाम	अनुबंधित मॉग	अवधि	इकाईयों की खपत (मेगा यूनिट)	देय वि.शु.	वि.शु. का भुगतान	वसूली योग्य वि.शु. की राशि	ब्याज की राशि
1	मेसर्स सीता श्री फूड प्रोडक्ट,	1000 के.व्ही.ए.	03/13 से 04/14	2.71	26.43	15.86	10.57	5.68

[12] 11 के.व्ही एवं अधिक के संयोजन उच्चदाब संयोजन माना जावेगा।
[13] अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1975 के अनुसार ब्याज की दर 3 महीने तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष, 3 महीने से अधिक 6 महीने तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष, 6 महीने से अधिक 12 महीने तक 20 प्रतिशत प्रति वर्ष, 12 महीन से अधिक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

	इन्दौर							
2	मेसर्स एड–मेनम पैकेजिंग लिमिटेड, मउ	900 के.व्ही.ए.	09/12 से 07/15	1.24	97.57	58.54	39.03	17.56
3	मेसर्स मुकेश एसोसियेट, इन्दौर	250 के.व्ही.ए.	05/13 से 07/15	3.50	27.36	16.42	10.94	3.66
4	मेसर्स पार्थ प्लास्ट पैक प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर	460 के.व्ही.ए.	08/13 से 07/15	3.14	25.13	15.08	10.05	3.06
5	मेसर्स मालवा एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, देपालपुर इन्दौर	350 के.व्ही.ए.	07/12 से 04/14	1.04	10.89	6.53	4.36	3.73
6	मेसर्स मनीष फलेक्सीपैक, इन्दौर	450 के.व्ही.ए.	04/15 से 07/15	0.85	7.26	4.35	2.90	0.34
7	मेसर्स मालवा एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर	700 के.व्ही.ए.	09/13 से 10/13	0.49	3.89	2.33	1.56	0.85
8	मेसर्स रूचि सोया, गुना	1250 के.व्ही.ए.	09/11 से 12/12	5.07	37.16	22.30	14.87	14.03
			कुल	**18.04**	**235.69**	**141.41**	**94.28**	**48.91**

शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2011 के धारा 3 के 9 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि पावर लूम, फ्लोर मिल, आईल एक्सपेलर तथा कपड़ा मिलों पर 9 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क प्रभारित होगा। इसके अलावा यह बताया कि चार उपभोक्ताओं (तालिका के क्र.सं. 2, 3, 4 तथा 6) कपड़ा मिल, तीन उपभोक्ता (तालिका के क्र.सं. 1, 5 तथा 7) फ्लोर मिल तथा एक उपभोक्ता (क्र.सं. 8) आईल एक्सपेलर थे। अतः शुल्क की दर नौ प्रतिशत प्रभारित की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सभी इकाईयाँ बड़े पैमाने पर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री, लचीला मध्यवर्ती बल्क कंटेनर, उच्च घनत्व पोलीथिलिन (एचडीपीई) से बुनी बोरियाँ, प्लास्टिक उत्पाद तथा पी.पी. एवं एच.डी.पी.ई. से बुना कपड़ा, खाद्य उत्पाद (बड़े पैमाने पर बेकर मैदा, सूजी, रवा, तन्दूरी आटा, नियमित आटा, दलिया इत्यादि) के निर्माण तथा उत्पादन बड़े पैमाने पर खाद्य तेल उत्पादन तथा शोधन से सम्बन्धित थी जिसे कपड़ा मिल/फ्लोर मिल/आईल एक्सपेलर के रूप में नहीं मान्य किया जा सकता। आगे, यह भी कि ये सभी उपभोक्ता उच्चदाब से संयोजित थे अतः सभी इकाईयों को उच्चदाब औद्योगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था जिन पर मध्यप्रदेश

विद्युत शुल्क अधिनियम के भाग–क के अनुसार विद्युत शुल्क की दर 15 प्रतिशत आरोपणीय थी।

4.2.15 मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत न किए जाने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण

चार उप मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा सात संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालयों में 1,083 कैप्टिव उत्पादकों द्वारा न तो प्रपत्र 'जी' प्रस्तुत किया गया और न ही कैप्टिव पावर से उत्पादन/खपत के विरूद्ध शुल्क का भुगतान किया गया था। फिर भी विभाग ने प्रपत्र 'जी' प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए न्यायाधिकार न्यायालय में प्रकरण दाखिल नहीं किया था।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 7 के अनुसार, प्रत्येक वितरक एवं प्रत्येक निर्माता विद्युत निरीक्षक को प्रपत्र 'जी' में मासिक विवरण कोषालय चालान के साथ प्रस्तुत करेगा जिसमें शुल्क की राशि के साथ शुल्क योगय एवं शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा की खपत का विवरण होगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाईजी या प्रत्येक उत्पादक, केप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादक कम्पनी तथा खुले अभिगम के माध्यम से विद्युत अभिप्राप्त करने वाले उपभोक्ता, पुस्तकें, लेखे तथा अभिलेख ऐसे प्रारूप में संधारित करेगा तथा ऐसी विवरणियाँ ऐसे समयों पर ऐसे प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई फ्रेन्चाईजी, उत्पादक, केप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादक कम्पनी या उपभोक्ता लेखाओं या अभिलेखों का संधारण करने एवं प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह शास्ति जो पाँच हजार रूपये तक होगा, से दण्डनीय होगा। इस उद्देश्य हेतु विभाग को इन उत्पादकों/केप्टिव उत्पादक संयंत्र/उत्पादक कम्पनी/फ्रेन्चाईजी को मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर सूचना/अनुस्मारक जारी किया जाना चाहिए। इन सूचनाओं के अनुपालन न करने पर विभाग द्वारा लागू प्रावधानों के साथ न्यायालय में शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

हमने अवलोकित किया कि चार उप मुख्य विद्युत निरीक्षक[14] तथा सात संभागीय विद्युत निरीक्षक[15] कार्यालयों में 3,910 केप्टिव उत्पादकों में से 1,083 केप्टिव उत्पादकों द्वारा न तो प्रपत्र 'जी' प्रस्तुत किये गये थे तथा न ही केप्टिव पावर के माध्यम से उत्पादित/उपयोग की गई ऊर्जा के विरूद्ध शुल्क का भुगतान किया गया। इस पर अधिकतम शास्ति ₹ 54.15 लाख तक आरोपणीय थी जिसके लिए विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण दाखिल नहीं किये। प्रपत्र 'जी' के अभाव में हम आरोपणीय विद्युत शुल्क की राशि का आंकलन नहीं कर सके।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि, फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वितरकों तथा उत्पादकों से मासिक विवरणी प्रपत्र 'जी' प्राप्त न होने पर शास्ति आरोपित करें। भविष्य में प्रपत्र 'जी' प्राप्त करने के लिए ऑन लाईन प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

विभाग द्वारा वितरण कंम्पनी/केप्टिव पावर उत्पादकों से प्राप्त विवरिणयों का परिवीक्षण सख्ती से किया जाना चाहिए एवं इसके निवारण के लिए चूककर्त्ता कंम्पनियों के विरूद्ध शास्ति का आरोपण किया जाना चाहिये।

[14] अधीक्षण यंत्री (वि.सु.) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक,इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन तथा रीवा
[15] कार्यपालनयंत्री (वि. सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक,होशंगाबाद, गुना, छिन्दवाडा, सागर, ग्वालियर, शहडोल तथा रतलाम

4.2.16 विद्युत वितरण कंपनी को स्वयं खपत के लिए विद्युत शुल्क की अप्राप्ति तथा विद्युत बिकी के लिए ऊर्जा विकास उपकर की कम आरोपण।

विभाग ने, एच.ई.जी.लिमिटेड द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत खपत पर विद्युत शुल्क की राशि ₹ 10.59 लाख का आरोपण नहीं किया था तथा विद्युत वितरण कंपनी को विक्रय किये गये विद्युत पर ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 26.75 लाख आरोपित नहीं की गई।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012 की धारा 3(3) के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के भीतर प्रत्येक उत्पादक कम्पनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र और उत्पादक, प्रत्येक महीने उसके स्वयं के द्वारा उपभुक्त या उपभोक्ताओं को बेची गई विद्युत यूनिटों पर विहित समय पर तथा विहित रीति से अनुसूची के भाग–ग मे वर्णित दर पर शुल्क की गणना कर राज्य शासन को भुगतान करेगा। धारा 3(3) के भाग–ग के अनुसार, विद्युत शुल्क, टैरिफ का 15 प्रतिशत प्रभारित किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की आपूर्ति की गई है। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 7(1) के अनुसार, शुल्क की उस रकम पर, जो देय हो, तथा असंदत्त हो ऐसी दर से तथा ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि विहित किया जाए, ब्याज[16] लगेगा।

हमने कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल के अवलोकन में पाया कि मेसर्स एच.ई. जी. लिमिटेड, जो कि इटारसी में एक जल विद्युत उत्पादक हैं, के द्वारा 2x6.75 मेगावाट उत्पादक इकाइयों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। माह फरवरी 2015 एवं जुलाई 2015 में विद्युत ऊर्जा की क्रमशः 10,73,088 यूनिट तथा 8,550 यूनिटों की खपत एच.ई.जी. लिमिटेड से ग्रेफाईट ईकाई द्वारा की गई, लेकिन इस खपत के लिए विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। विभाग के अधिकारी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत 'जी' प्रपत्र में प्रस्तुत जानकारी का विश्लेषण करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप ₹ 10.59 लाख[17] का विद्युत शुल्क (मार्च 2016 तक ₹ 2.31 लाख ब्याज सहित) प्रभारित नहीं किया गया।

- मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम (संशोधित), 2012 दिनांक 11 जनवरी 2013 की धारा 3(1)(ख) के अनुसार किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का स्वामी या उसका संचालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस विद्युत ऊर्जा की, जो विहित कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर पन्द्रह पैसे प्रतियूनिट की दर से, विहित रीति से, यथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकायेगा । विलंब से भुगतान किये गये अ.वि. उ. पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ब्याज भी आरोपणीय होगा।

हमने मेसर्स एच.ई.जी लिमिटेड के प्रपत्र 'जी' की संवीक्षा में अवलोकित किया कि कम्पनी ने वितरण अनुज्ञप्तिधारियों (मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों) को अगस्त 2015 से नवम्बर 2015 के मध्य 2,57,94,848 यूनिट विद्युत ऊर्जा बेची थी लेकिन ऊर्जा विकास उपकर केवल 94,37,319 यूनिट के लिए ही भुगतान किया गया। परिणामतः ₹ 26.75 लाख[18] (मार्च 2016 तक ₹ 2.22 लाख ब्याज सहित) का ऊर्जा विकास उपकर कम आरोपण किया गया।

---

[16] अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1975 के अनुसार ब्याज की दर 3 महीने तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष, 3 महीने से अधिक 6 महीने तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष, 6 महीने से अधिक 12 महीने तक 20 प्रतिशत प्रति वर्ष, 12 महीन से अधिक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

[17] वि. शु. तथाा ब्याज की गणना
वि. शु. 1073088 यूनिट @ 5.10x15प्रतिशत = ₹ 820912/– एवं ब्याज = 820912 x14 महीन x 24 प्रतिशत = ₹ 229855/–
वि. शु. 8550/– यूनिट / 5.65 x 15 प्रतिशत = ₹ 7246/– एवं ब्याज 7245 x 9 महीने x 20 प्रतिशत= ₹ 1087/–

[18] ऊ.वि. उ. तथाा ब्याज की गणना
अगस्त 2015(76,06,509 –31,39,100) = 44,67,409 यूनिट @ 0.15 = ₹ 6,70,111/– तथा ब्याज = ₹ 6,70,111 x 8 महीनेx 20 प्रतिशत = ₹ 89,348/–
इसी प्रकार सितम्वर 2015 में ₹ 31,004/– अक्टूवर 2015 में ₹ 39,024/– तथा नवम्वर 2015 में ₹ 62,341/–

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि एच.ई.जी. लिमिटेड, तवा की जल विद्युत परियोजना ग्रेफाइट इकाई मण्डीदीप एक कैप्टिव पावर संयंत्र है तथा ऊर्जा का पारेषण एच.ई.जी. संयंत्र में स्वयं के उपयोग के लिए किया जाता है। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012 की धारा 3 की अनुसूची 14 के अनुसार शुल्क की दर टैरिफ दर ₹ 5.65 प्रति यूनिट का 15 प्रतिशत का भुगतान सहायक तथा स्वयं (आवासीय कॉलोनी) खपत हेतु नियमित रूप से आदेश के अनुसार एच.टी. 3.1 में 33 के.व्ही. लाईन पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एच.ई.जी लिमिटेड एक उत्पादक/कैप्टिव पावर उत्पादक है। अतः सहायक/स्वयं खपत (आवासीय परिसर तवा नगर तथा ग्रेफाइट यूनिट) पर विद्युत शुल्क टैरिफ का 15 प्रतिशत की दर से आरोपणीय है। माह फरवरी 2015 तथा जुलाई 2015 में एच.ई.जी. लिमिटेड की ग्रेफाइट इकाई द्वारा कुल 10,73,088 यूनिट तथा 8,550 यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत की गई थी लेकिन अभी तक विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर के सम्बंध में विभाग द्वारा तीन माह अगस्त 2015 से अक्टूबर 2015 तक उदाहरण दिए गये थे जबकि उन माहों में सहायक तथा स्वयं खपत के बाद शेष यूनिटों के लिए कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। तथ्य यह था कि इन यूनिटों को विद्युत वितरण कंपनी या अन्य उपभोक्ता को बेचा गया था तथा इसलिए बेचे गये शेष यूनिटों पर उपकर आरोपित किया जाना चाहिये था।

4.2.17 उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क की अनियमित छूट

विभाग ने पुराने उपभोक्ताओं को नये उपभोक्ता मानते हुए विद्युत शुल्क का अनियमित छूट दी। इसके परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क की राशि ₹ 25.76 लाख की प्राप्ति नहीं हो सकी।

ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04 मार्च 2014 के अनुसार राज्य शासन द्वारा 33 के.व्ही., 132 के.व्ही. और 220 के.व्ही. के नये उच्चदाब उपभोक्ताओं को ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा की खपत पर क्रमशः पाँच वर्ष, सात वर्ष तथा दस वर्ष तक विद्युत शुल्क के भुगतान पर छूट प्रदान की गई थी। यह छूट नये उच्चदाब उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी जो अधिसूचना जारी होने के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर राज्य की विद्युत वितरण कंम्पनियों से संयोजन लेते है, इस प्रतिबंध के साथ कि यह छूट राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के वर्तमान में संयोजित उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं होगी।

हमने कार्यालय उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, इन्दौर में पाया कि ग्रिड से संयोजित तीन उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंम्पनियों के पुराने उपभोक्ता होने के बाबजूद विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई थी। परिणामतः विद्युत शुल्क की अनियमित छूट ₹ 25.76 लाख (दिसम्बर 2015 तक के ब्याज सहित) दी गई थी जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:–

तालिका 4.6

उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क की अनियमित छूट

(₹ लाख में)

क्र. स.	उपभोक्ताओं के नाम	पूर्व उच्चदाब/ अनुबंधित मॉग	वर्तमान उच्चदाब/ अनुबंधित मॉग	छूट प्रदाय का माह	उपभुक्त विद्युत यूनिट	विद्युतशुल्क की राशि	ब्याज की राशि
1	मेसर्स अग्रोहा इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	11 के. व्ही/300 के. व्ही.ए.	33 के. व्ही/400 के. व्ही.ए.	अगस्त 2014 से जुलाई 2015	1109120	8.48	1.69
2	मेसर्स आरोन डेवलपर्स प्रा.लि., इन्दौर	33 के.व्ही /200 के.व्ही. ए.	33 के.व्ही /200 के.व्ही. ए.	मई 2014 से जुलाई 2015	1280628	9.80	2.30
3	मेसर्स सॉईनाथ स्टोन क्रेशर, इन्दौर	33 के.व्ही /125 के.व्ही. ए.	33 के.व्ही /146 के.व्ही. ए.	जून 2014 से जुलाई 2015	140300	2.86	0.63
				कुल	**2530048**	**21.14**	**4.62**

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि मेसर्स सॉईनाथ स्टोन क्रेसर, इन्दौर ने नया संयोजन 4 मार्च 2014 के बाद लिया था अतः विद्युत शुल्क भुगतान योग्य नहीं था तथा शेष दो उपभोक्ताओं के विरूद्ध वि.शु. की वसूली प्रारम्भ कर दी गई है।

मेसर्स सॉईनाथ स्टोन क्रेशर, इन्दौर के सम्बंध में शासन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विद्यमान इकाईयों राज्य के विद्युत वितरण कंम्पनी के उपभोक्ताओं को छूट प्राप्त नहीं था।

4.2.18 निष्कर्ष

- ऊर्जा विकास उपकर न तो ऊर्जा विकास निधि में समय से जमा किया गया और न ही उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया, जिसके लिए उपकर का आरोपण किया गया था।
- विभाग ने विद्युत वितरण कम्पनी से बकाया विद्युत शुल्क को सतत् ऋण में परिवर्तित करने में विलंब किया तथा विद्युत वितरण कम्पनी को बकाया विद्युत शुल्क की राशि तथा उस विद्युत शुल्क को सतत् ऋण में परिवर्तित करने के बीच की अवधि के लिए कोई ब्याज आरोपित नहीं किया।
- शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत के आंकलन के लिए अलग से मीटर नहीं लगाये जाने से राजस्व की अधिक मात्रा में हानि हुई थी।
- विभाग उच्चदाब और निम्न दाब के विद्युत संस्थापनाओं के वार्षिक निरीक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका जिसमें विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा खतरे में रही। इसके परिणामस्वरूप निरीक्षण फीस की बड़ी राशि भी अप्राप्त रही।
- मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालयों में वितरण कंम्पनियों और कैप्टिव विद्युत उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों

की निगरानी अपर्याप्त थी जिससे शुल्क के कम आरोपण का पता लगाने में विफलता रही।

4.2.19 अनुशंसाएं

- हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि में स्थानांतरण समय पर हो तथा ऊर्जा विकास उपकर का समय पर निहित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए।
- शासन द्वारा एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए जिसके द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध देय विद्युत शुल्क या तो तुरन्त सतत् ऋण में परिवर्तित किया जाना चाहिए या विद्युत शुल्क के भुगतान के विलम्ब के मामले में शासन द्वारा ब्याज आरोपित किया जाना चाहिए।
- इस विषय पर पिछली समीक्षा पर लोक लेखा समिति ने विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के मुद्दों को समयबद्ध तरीके से सुलझाने की अनुशंसा की गई थी तथा विभाग को शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत पर अलग मीटर स्थापित किए बिना विद्युत शुल्क आरोपित करने का आधार देने को कहा गया था। हम पुनः अनुशंसा करते है कि विभाग, विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित करें तथा शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत के लिए अलग–अलग मीटर के अभाव में जहाँ विद्युत शुल्क कम आरोपित किया गया था ऐसे सभी मामलों में समयबद्ध वसूली होना चाहिए।
- विद्युत संस्थापनाओं का आवधिक निरीक्षण करने संबंधी प्रावधानों का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए ताकि इन विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- वितरण कंम्पनी/केप्टिव पावर उत्पादकों से प्राप्त विवरिणयों का परिवीक्षण विभाग द्वारा सख्ती से किया जाना चाहिए एवं इसके निवारण के लिए चूककर्त्ता कंम्पनियों के विरूद्ध शास्ति का आरोपण किया जाना चाहिये।